

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून में विकासखण्ड कालसी के लखस्यार-लुधेरा-क्यारी-कच्चा मोटर मार्ग का विस्तार किमी 15 से किमी 18 तक मार्ग नव निर्माण हेतु 1.822 है वन भूमि लो 0 नि 0 वि 0 को हस्तान्तरण।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले गाँवों की प्रत्येक ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव मय अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न किया जाये।

Attached

ह 0 / -
ग्राम प्रधान की मोहर



कार्यालय
ग्राम पंचायत क्यारी
तहसील-कालसी, जिला-देहरादून

परियोजना का नाम:-जनपद देहरादून विधान सभा क्षेत्र चकराता के अन्तर्गत क्यारी-कचटा मार्ग से मैहसासा तक मार्ग का निर्माण हेतु 0.053 है० वन भूमि लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में विधान सभा क्षेत्र चकराता के अन्तर्गत क्यारी-कचटा मार्ग से मैहसासा तक मार्ग का निर्माण हेतु 0.053 है० वन भूमि लो०नि०वि० को हस्तान्तरण परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 है० आरक्षित वन भूमि, 0.053 है० सिविल सोयम भूमि, नाप भूमि 0.997 है०) अर्थात् कुल 1.050 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मैहसासा द्वारा दिनांक 11.12.2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में अ०ख०, लो०नि०वि०, सहिया द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मैहसासा व क्यारी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि अ०ख०, लो०नि०वि०, सहिया देहरादून को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सभा की सिफारिश पर वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत विभाग द्वारा (0.00 है० आरक्षित वन भूमि, 0.053 है० सिविल सोयम भूमि, नाप भूमि 0.997 है०) अर्थात् कुल 1.050 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग सहिया को विधान सभा क्षेत्र चकराता के अन्तर्गत क्यारी-कचटा मार्ग से मैहसासा तक मार्ग का निर्माण। तक मार्ग के निर्माण हेतु कोई प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



ह०/-
ग्राम प्रधान की मोहर